# कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

## सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग

## ई–निविदा

पत्रांकः 377/वि0अनु0/न0नि0सहा0/2024–25 दिनांकः– 29, मार्च, 2025

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जोन संख्या 10 का विज्ञापन ठेका की ई–निविदा दिनांक 04.04.2025 को आमंत्रित की जा रही है। निविदा किये जाने वाले यूनिपोल/बाईपोल का विवरण निम्नवत् हैः–

| क्र | जोन सख्या | जोन का नाम | यूनिपोल की संख्या व साईज (24×12) | बाईपोल की संख्या व साईज (20×10) | जमानत राशि | प्रिमियम व विज्ञापन शुल्क की राशि | जी0एस0टी0 राशि | न्यूनतम ऑफर धनराशि(जी0एस0टी0 सहित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 10 | होटल क्लार्क इन्टरनेशन से नौगजा पीर | 11 | 08 | 1,90,000/- | 15,42,983/- | 2,77,737/- | 18,20,720/- |

निविदा शर्तें निम्नवत् हैः–

26. प्रत्येक जोन के ठेके के निमित्त तकनीकी निविदा में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगेः–

✓विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण(यदि हो)। यदि विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण नही है, और सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होता है, तो सम्बन्धित को पंजीकरण कराने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

✓आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित शपथ पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह तथ्य अंकित होगा कि वह किसी भी संस्था का बकायेदार नही है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, निविदा के साथ अपलोड करने होंगे।

✓निविदादाता की हैसियत 20 लाख रूपये की होनी चाहिये व पिछले 03 वित्तीय वर्ष की कुल टर्न ऑवर 50 लाख रू0 होनी चाहिये, संलग्न करनी होगी।

✓निविदा में केवल फर्म, पार्टनर फर्म, कम्पनी ही प्रतिभाग कर सकते है, Joint Venture प्रतिभाग नही कर सकते है, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

✓ ठेके की निमित्त निर्धारित जमानत धनराशि ई–टैण्डरिंग के माध्यम से जमा करनी होगी।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3– ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी निविदा में भाग नही ले सकेगें।

5– ऑनलाईन निविदा दिनांक 04.04.2025 को अपरान्ह् 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से डाली जायेगी, एवम् तद्दिनांक को सायं 03:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6– टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1180/– रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 28.03.2025 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3–प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक शाह टाईम्स एवं दैनिक दैनिक जागरण पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

4–रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।

5–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर दिनांक 28.03.2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ठेका विज्ञापन जोन संख्या 10 विज्ञापन यूनिपोल व बाईपोल की निविदा हेतु शर्ते

## Bidder Specific-

1. प्रत्येक जोन के ठेके के निमित्त तकनीकी निविदा में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे:-

A-विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण(यदि हो)। यदि विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण नही है, और सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होता है, तो सम्बन्धि को पंजीकरण कराने के उपरान्त ही कार्यादेश किया जायेगा।

B -आधार कार्ड।

C -पैन कार्ड।

D - जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

E - चरित्र प्रमाण पत्र।

F - नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित शपथ पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह तथ्य अंकित होगा कि वह किसी भी संस्था का बकायेदार नही है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, निविदा के साथ अपलोड करने होंगे।

G - निविदादाता की हैसियत 20 लाख रूपये की होनी चाहिये व पिछले 03 वित्तीय वर्ष की कुल टर्न ऑवर 50 लाख रू0 होनी चाहिये, संलग्न करनी होगी।

H - निविदा में केवल फर्म, पार्टनर फर्म, कम्पनी ही प्रतिभाग कर सकते है, Joint Venture प्रतिभाग नही कर सकते है, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

## Bid Specific-

1. तकनीकी निविदा में पास होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा की धनराशि 1000 रू0 के गुणांक में स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा में विज्ञापन क्षेत्र के अनुभवी, जिन्होने पहले किसी निकाय में यूनिपोल/बाईपोल का कार्य किया हो, निविदा में भाग ले सकता है, यदि निविदा स्वीकृत होती है, तो उक्त फर्म/व्यक्ति को नगर निगम में विज्ञापन अनुभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, पंजीकरण उपरान्त ही कायदिश निर्गत किया जायेगा।
4. ठेके की निमित्त निर्धारित जमानत राशि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी।
5. विज्ञापन पट्ट की निविदा 01 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु आमंत्रित की जा रही है।
6. नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।
7. यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी निविदा की वित्तीय वर्ष 2025-26 की समस्त धनराशि जमा करने व अनुबन्ध निष्पादन के बाद ही कार्यादेश जारी हो सकेगा, यदि निविदादाता ऐसा नही करता है, तो जमानत राशि सहित समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।
8. पंजीकृत फर्म/संस्था को अपने खर्चे पर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर यूनिपोल/बाईपोल लगाने होंगे। अवधि पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार उक्त यूनिपोल/बाईपोल को हटा लेगा, अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी नगर आयुक्त की राय में होर्डिंग अथवा उसका स्थान आपत्तिजनक होने पर उसे हटाने के निर्देश दिये जा सकते है, जिसे ठेकेदार को 24 घण्टे के अन्दर हटाना होगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार पर जुर्माना किया जा सकेगा। स्वीकृत यूनिपोल/बाईपोल की साईट को किसी अन्य स्थान पर निगम की अनुमति लेकर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
9. ई-निविदा हेतु न्यूनतम वार्षिक ऑफर कॉलम संख्या 09 में अंकित है, जिसमें विज्ञापन शुल्क/प्रीमियम दोनो की धनराशि जी0एस0टी0 सहित है, उक्त कॉलम स0 09 में अंकित न्यूनतम ऑफर से कम का ऑफर स्वीकार नही किया जायेगा। वार्षिक ऑफर की समस्त धनराशि जमा होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
10. यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त संख्या 07 की शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि में ठेका धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी जमानत राशि व जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी, एवं भविष्य में होने वाले

Scanned with CamScanner

निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा, जिसके लिये निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

11. ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तो के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
12. ठेकेदार आंवटित जोन में अनाधिकृत विज्ञापन नही करेगा। निगम के निर्देश पर ठेकेदार को अपने जोन से अनाधिकृत विज्ञापन हटाने होंगे।
13. किसी भी अवैध विज्ञापन को न लगने देने की जिम्मेदारी चयनित फर्म/व्यक्ति की होगी व अन्य कोई भी विज्ञापन लगा दिखा तो यह मानते हुये कि यह चयनित व्यक्ति/फर्म की मिलीभगत से लगाया गया है, तो सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त करते हुये फर्म/व्यक्ति को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
14. ठेकेदार को निर्धारित साईज के विज्ञापन पट्ट ही लगाने होंगे, निर्धारित संख्या से अधिक विज्ञापन पट्ट मिलने पर अथवा बडा साईज मिलने पर ठेकेदार पर क्षतिपूर्ति सहित जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी, जो पचास हजार रूपये से कम न होगी, जिसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
15. समस्त विज्ञापन पट्ट इस प्रकार लगाये जायेंगे, कि वह आकर्षक लगें, एवं उनके कारण नगर की सुन्दरता में वृद्धि हो।
16. जो भी कर/देयता भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी भी बोर्ड की होगी, उसके भुगतान का उत्तरदायित्व फर्म/व्यक्ति का होगा।
17. जनहित में नगर आयुक्त को किसी भी शर्त को परिवर्तित करने, संसोधित करने तथा नई शर्त आरोपित करने का अधिकार होगा।
18. किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
19. वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद सहारनपुर होगा।
20. ठेकेदार पर किसी भी तरह की बकाया धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार होगा।
21. यदि ठेकेदार द्वारा कम धनराशि के मूल्य पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराया जाता है, तो किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर अनुबन्ध में स्टाम्प की कमी है, तो उसके लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा, और उसी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
22. यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
23. निविदा आमंत्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जायेगा।
24. निविदा अवधि में ठेके से सम्बन्धित जानकारी विज्ञापन अनुभाग व श्री राहुल कुमार(विज्ञापन लिपिक मो0न0 8273098564) से प्राप्त की जा सकती है।
25. टैण्डर शुल्क अंकन 1000+180= 1180/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन)
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner